न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 05 / 2016 / (2016 / 00095) जिला–अजमेर

1. भंवरलाल पुत्र नाथूलाल (नाथूलाल पुत्र चन्दाजी)
2. बिरदी चन्द पुत्र श्री नाथूलाल
3. नौरती पुत्री नाथूलाल
4. सुरेश पुत्र श्री नाथूलाल
5. सुशीला पुत्री श्री नाथूलाल
6. छोटूलाल पुत्र चन्दा जी
7. मेहनलाल पुत्र चन्दा जी
8. अमरचन्द पुत्र चन्दा जी
   समस्त जाति माली निवासी चार ढाणों की बावड़ी गुलाबबाडी अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री छीतरमल
2. रमेश चन्द पुत्र श्री छीतरमल
3. सतीश चन्द पुत्र श्री छीतरमल
   समस्त जाति माली निवासी घोसी मार्बल के आगे, धोलाभाटा गांव अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर दिनांक 1–6–2015
अन्तर्गत अपील संख्या 49 / 2012
बउनवान भंवरलाल व अन्य बनाम सुशीला व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री एजाज अहमद, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3

निर्णय

दिनांकः— 26—12—2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किराणीपुरा तहसील अजमेर के आराजी खसरा नम्बर 1601 रकबा 01—01—00 बीधा किस्म बारानी प्रथम जिसके खातेदार अपीलार्थीगण है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 13—8—1987 से राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज किया गया। किन्तु भू—प्रबन्ध अधिकारी द्वारा विवादित आराजियात बाबत श्री छीतरमल की विरावत जरिये नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 17—9—1994 तस्दीक की जिसमें विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1601 रकबा 1—1—0 बीघा भी सहवन से अंकित कर दी गई। जिसकी जानकारी होने पर जिहला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1601 रकबा 1—1—0 बीघा की हद तक नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 17—9—1994 निरस्त कर उक्त खसरा नम्बर 1601 को नामान्तरकरण संख्या 151 से तर्क करने हेतु निवेदन किया गया। जिला कलक्टर अजमेर ने नामान्तरकरण कार्यवाही को समरी कार्यवाही मानते हुए अपीलार्थी की अपील आदेश दिनांक 1—6—2015 से निरस्त कर दी। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि वर्किंग जमाबंदी में अपीलार्थीगण का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 13—8—1987 को तस्दीक किया जाकर सही अमल दरामद किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 1601 रकबा 1—1—0 स्थित ग्राम किरानीपुरा अपीलार्थीगण की तन्हा खातेदारी की आराजियात है जिस पर अपीलार्थीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त भूमि से प्रत्यर्थीगण का कोई लेना देना नहीं है लेकिन उकत आराजियात के साथ खसरा नम्बर 1601 रकबा 1—1—0 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 17—9—1994 में गलत रूप से अंकन कर दिया गया। जिससे खसरा नम्बर 1601 रकबा 1—1—0 क हद तक नामान्तरकरण संख्या 151 निरस्त फरमाया जाकर वर्किंग जमाबंदी में दर्ज नोट किया जावे। वर्किंग जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 151 का अमल दरामद करते समय भूमि खसरा नम्बर 1601 रकबा 1—1—0 के अपीलर्थीगण तन्हा खातेदार दर्ज थे। छीतरमल वर्किंग जमाबंदी में बरवक्त अमल दरामद किये जाने के दौरान खातेदार नहीं था। फिर भी उसकी विरासत बाबत नामान्तरकरण संख्या 151 में खसरा नम्बर 1601 रकबा 1—1—0 त्रुटिवश दर्ज किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम अमल दरामद कर दिया गया

जो प्रथम दृष्टया त्रुटिकारित होना सिद्ध था। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर ने अन्य आराजियात बाबत श्री छीतरमल की विरासत जरिये नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 17–9–1994 को तस्दीक की जिसमें विवादित भूमि खसरा नम्बर 1601 रकबा 1–1–0 बीघा भी सहवन से त्रुटिवश अंकित कर दी गई जिससे उक्त नामान्तरकरण खसरा नम्बर 1601 की हद तक तर्क किया जावे। त्रूटिपूर्ण नामान्तरकरण तस्दीक जो जाने पर दुरूस्ती कराने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में नामान्तरकरण को निरस्त करवाने हेतु अपील के प्रावधान है जिससे जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 17–9–1994 की भूमि खसरा नम्बर 1601 रकबा 1–1–0 स्थित ग्राम किरानीपुरा की हद तक निरस्त फरमाया जाकर वर्किंग जमाबंदी में जमा नोट तर्क करने हेतु निवेदन किया गया था लेकिन उनके द्वारा नियमित राजस्व वाद के जरिये नामान्तरकरण निरस्त करवाने बाबत निर्णय में अंकन कर दिया जबकि नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 17–9–1994 भूमि खसरा नम्बर 1601 रकबा 1–1–0 की हद तक निरस्तीकरण हेतु उनके समक्ष न्यायोचित रूप से नियमानुसार अपील प्रस्तुत की गई थी। नामान्तरकरण निरस्तीकरण हेतु धारा 88 काश्तकारी अधिनियम में नियमित राजस्व वाद प्रस्तुती बाबत प्रावधान नहीं होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में अपील प्रस्तुती का अधिकार पीड़ित पक्षकार को प्रदान किया गया है। वर्किंग खसरा नम्बर 1601 रकबा 1–1–0 बीघा के वर्तमान बन्दोबस्त के दौरान आधारभूत खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.09 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.01 हैक्टर बनाये गये है। अतः वर्किंग जमाबंदी में भूमि खसरा नमबर 1601 रकबा 1–1–0 बीघा की हद तक नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 17–9–1994 निरस्त किया जाकर किया गया अमल दरामद तर्क फरमाया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–6–2015 निरस्त किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1601 रकबा 1–1–0 बीघा स्थित ग्राम किरानीपुरा की हद तक नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 17–9–1994 निरस्त फरमाकर वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 1601 में हुआ नामान्तरकरण संख्या 151 का अमल दरामद तर्क किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 13–8–1987 का जो अमल वर्किंग जमाबंदी मं दर्ज किया गया है उसे यथावत आधारभूत जमाबंदी में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि नामान्तररकरण संख्या 151 दिनांक 17–9–1994 से खसरा नम्बर 1601 रकबा 1–1–00 बीघा किस्म बारानी प्रथम बाबत अन्य आराजियात के साथ प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 3 जो कि छीतरमल के वारिसान है, का नाम राजस्व रेकार्ड वर्किंग जमाबंदी में त्रूटिपूर्ण रूप से दर्ज कर दिया गया है। वर्किंग जमाबंदी में छीतरमल खातेदार दर्ज नहीं थे बल्कि अपीलार्थीगणही तन्हा खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त रहे

है। प्रत्यर्थीगण का उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील न्यायहित में स्वीकार फरमाई जाकर छीतरमल के फौत होने पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 17–9–1994 खसरा नम्बर 1601 रकबा 1–1–00बीघा तकतर्ककिया जाकर अपीलार्थीगण के नाम खातदारी दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा छीतरमल के फौत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरे के आधार पर विरासतन नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 17–9–1994 स्वीकृत किया गया है। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने नामान्तरकरण संख्या 151 में से खसरा नम्बर 1601 रकबा 1–1–0 की हद तक तर्क करने का निवेदन कर दिया है किन्तु नामान्तरकरण में से खसरा नम्बर तर्क राजस्व वाद के जरिये विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही कराया जा सकता है। नामान्तरकरण संख्या 151 में से खसरा नम्बर 1601 रकबा 1–1–0 तर्क करने के आदेश इस नामान्तरकरण की अपील के माध्यम से प्रदान नहीं किया जा सकता है इसे तर्क कराने के लिए अपीलार्थीगण सक्षम न्यायालय में नियमित राजस्व वाद के जरिये ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर तर्क करवाया जा सकता है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार के हक हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है लिहाजा यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार कर यह उचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण को अपने हक हकूकों के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर लाभ प्राप्त करना चाहिए था। इस नामान्तरकरण की अपील में उन्हें कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त स्थिति में हमें अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–06–2015 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–06–2015 अन्तर्गत अपील संख्या 49/2012 बउनवान भंवरलाल व अन्य बनाम श्रीमती सुशीला व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर